राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

सं. डीडीएमए/कोविड/2020/1/92 **दिनांक 24.04.2020**

आदेश

जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) संतुष्ट कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कोविड–19, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही वैश्विक महामारी घोषित कर चुका है, के फैलाव का खतरा है, और इसे रोकने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है।

और जबकि, दिल्ली आपदा प्रबंध प्राधिकरण ने समय–समय पर सभी संबद्ध प्राधिकरणों को स्थित से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का आदेश/निर्देश जारी किये है।

और जबकि, आदेश संख्या डीडीएमए/कोविड/2020/1/14, दिनांक 02.04.2020 और आदेश संख्या डीडीएमए/कोविड/2020/1/23, दिनांक 04.04.2020 के अनुरूप जिला मजिस्ट्रेट ने प्रवासी कामगारों सहित जरूरतमंद लोगों को दिन में दो बार भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकारी परिसर और नगर निगमों के स्कूलों में, जिला मजिस्ट्रट और पुलिस उपायुक्त के संयुक्त आकलन के आधार पर सम्बंधित एजेंसियों के माध्यम से की है।

और जबकि, यह बात सामने आई है कि कुछ जिलों में केंद्रित स्थलों पर निर्धन और जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्कूलों की पर्याप्त संख्या नही है।

इसलिए, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के रूप में निर्देश देते हैं कि, किसी क्षेत्र में स्कूलों की पर्याप्त संख्या के अभाव में जिला मैजिस्टेट संबंधित पुलिस आयुक्त के साथ संयुक्त आकलन के बाद निजी स्कूल, सामुदायिक केंद्र, बस्ती विकास केंद्र जैसे वैकल्पिक स्थानों पर भोजन केंद्र स्थपित कर सकते हैं। यह बेहतर होगा कि भोजन वितरण केंद्र सरकारी भवन के परिसर में हों, लेकिन आपात स्थिति और सरकारी भवन उपललब्ध न होने पर निजी

परिसर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद, उपयोग में लाये जा सकते हैं। परन्तु, यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि भोजन वितरण का प्रभारी समुचित वरिष्ठता का सरकारी कर्मी हो। अन्य शर्तों का उल्लेख आदेश संख्या डीडीएमए/कोविड/2020/1/14, दिनांक 02.04.2020 और आदेश संख्या डीडीएमए/ कोविड/ 2020/1/23 दिनांक 04.04.2020 में उल्लिखित शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

अनुलग्नक : ऊपर वर्णित अनुसार

(विजय देव)
मुख्य सचिव, दिल्ली

सेवा में,

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
2. जिला उपायुक्त पुलिस, दिल्ली पुलिस।

सं. डीडीएमए/कोविड/2020/92 **दिनांक 24.04.2020**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. प्रधान सचिव, माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली।
2. अपर सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
3. सचिव, माननीय उप–मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव, माननीय राजस्व मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. अपर मुख्य सचिव (गृह), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
6. प्रधान सचिव (राजस्व)–सह–मंडलीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
7. समस्त सदस्य राजस्व कार्यकारी समिति, डीडीएमए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय को व्यापक प्रचार हेतु।
9. एसआईओ, एनआईसी को दिल्ली सरकार की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. गार्ड फाईल